FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0112 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/05/2026 19:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 05/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 20:27 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/05/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/05/2026 19:39:30 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 180 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PURANI RAILWAY FATAK KE PASS LADANOO BYPASS PULIYA, DIDAWANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PREM SINGH RAJPUROHIT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE. GOVIND SINGH RAJPUROHIT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PUROHITO KI DHANI POST JUSARI, MAKARANA, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PUROHITO KI DHANI POST JUSARI, MAKARANA, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PEETHDAN CHARAN		पिता:LADUDAN	1. PUNIYA WINES KE PASS SIKAR ROAD,SAINI COLONY,SIKAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एसयू अजमेर(राज0) विषय रिश्वत न देने व रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदयाजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि प्रार्थी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 42 वर्ष निवासी पुरोहितो की ढाणी पोस्ट जूसरी तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन वर्तमान मे मै ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जूसरी पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना कुचामन मे अध्यक्ष पद पर कार्यरत हॅू। महोदयाजी निवेदन है कि मैने सदस्य के रूप मे 18998 ऋण सोसायटी से लिया था । जिसको जमा कराने हेतु पिछले वर्ष मई माह मे गया था। अपनी सोसायटी मे व्यवस्थापक श्री अजय कुमार द्वारा 40 से 45 मिनिट तक तीन बार अंगूठे लगवाये कहा कि आपका ऋण जमा खर्च हो चुका है शेष बीमा की राशि 1735 मैने नगद दे दिये ओर मेरे द्वारा रसीद मांगने पर कहा प्रिन्टर सही नहीं है। बाद मे दे दूंगा। इस पर मेने कहा मेरे पास अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया है तब व्यवस्थापक अजय कुमार ने कहा कि सर्वर डाउन है तथा इसने मेरे द्वारा जमा कराये जाने के बावजुद भी मुझे अवधि पार करार कर दिया जिसकी इसने मुझे कोई सूचना नहीं दी धारा 99 का नोटिस जारी करवा दिया गया। जिसका जवाब मै 20.04.2026 को श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर दिया। जिसकी रसीद आपको पेश है तथा इस नोटिस को फाईल करने के लिए 1 लाख रूपये रिश्वत के रूप मे श्री पीथदान चारण मांग रहा है जो मेरे से सीधा नहीं मांगकर मेरे मित्र श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा पुत्र स्व0 श्री गणपतलाल बोथरा निवासी बोथरा का वास बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन से सीधी बात कर सकते है। मै रिश्वत नहीं देना चाहता तथा रंगे हाथो रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हॅू तथा मेरी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार से किसी प्रकार की व्यक्तिगत रंजिश नहीं है नाही किसी प्रकार का लेन-देन है। अतः श्रीमान् रिपोर्ट सेवामे पेश है। भवदीय एसडी प्रेम सिंह राजपुरोहित अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जूसरी पं0स0 मकराना मो0नं0
एस0डी गजेन्द्र सिंह बोथरा पुत्र स्व0 श्री गणपतलाल बोथरा निवासी बोथरा का वास बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन मोबाईल.नं0 कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो स्पेशल यूनिट.अजमेर दिनांक 23.04.26 को परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 42 वर्ष निवासी पुरोहितो की ढाणी पोस्ट जूसरी तहसील मकराना जिला डीडवाना.कुचामन ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय मे उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं उपरोक्त पते का मूल निवासी हॅू तथा वर्तमान मे ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जूसरी पंचायत समिति मकराना जिला डीडवाना.कुचामन मे अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित हॅू। मेरा निवेदन है कि मेने सदस्य के रूप मे 18 998 रूपये ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जूसरी की सोसायटी से ऋण लिया था। जिसको जमा कराने हेतु पिछले वर्ष मई माह मे गया था। सोसायटी के व्यवस्थापक श्री अजय कुमार द्वारा 40.45 मिनट तक तीन बार अंगूठे लगवाये तथा कहा कि आपका ऋण जमा खर्च हो चुका है। शेष बीमा की राशि 1735 रूपये मेने नगद दे दिए थे ओर मेरे द्वारा रसीद मांगने पर कहा कि प्रिण्टर सही नहीं है बाद मे दे दूंगा। इस पर मेने कहा कि मेरे पास अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया है तब व्यवस्थापक अजय कुमार ने कहा कि सर्वर डाउन है तथा मेरे द्वारा राशि जमा कराये जाने के बावजूद भी अवधिपार करार कर दिया है। जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं दी तथा धारा 99 का नोटिस जारी करवा दिया गया। जिसका जवाब मेने 20.04.26 को श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर दिया। जिसकी रसीद आपको पेश कर रहा हॅू। श्री पीथदान चारण इस नोटिस को फाईल करने के लिए मेरे से एक लाख रूपये की रिश्वत के रूप मे मांग कर रहा है जो उक्त राशि मेरे से सीधा नहीं मांगकर मेरे मित्र श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा से बात कर रहा है। मै रिश्वत राशि नहीं देना चाहता तथा रंगे हाथो रिश्वत लेते हुए पकडाना चाहता हॅू मेरी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना.कुचामन से किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है एवं नाही किसी प्रकार का लेन.देन बकाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरी स्वयं की हस्तलेखनी मे लिखा होकर इस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। परिवादी ने अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी मेरे से रिश्वत राशि की मांग नहीं कर मेरे साथ उपस्थित मेरा मित्र श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा से रिश्वत राशि की मांग करेंगा तथा वह उसी से ही रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे वार्ता कर रिश्वत राशि प्राप्त करेंगा। इस पर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के साथ उपस्थित अन्य व्यक्ति श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा से पूछताछ की गई तो उन्होने उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी श्री पीथदान चारण मेरे से ही रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता करता है तथा रिश्वत राशि भी मेरे से प्राप्त करेंगा। मेरी श्री पीथदान चारण से किसी प्रकार की रंजिश अथवा द्वेषभावना नहीं है एवं नाही किसी प्रकार का कोई उधार का लेन.देन बकाया है मेरी सहकारी समिति मे भी किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है। सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा ने उक्त कार्यवाही मे सम्मिलित होने की स्वैच्छा से सहमति प्रकट की तथा दौराने कार्यवाही परिवादी के साथ रहकर कार्यवाही करवाना स्वीकार किया एवं स्वयं के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर होना अवगत कराया। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन व दरियाफ्त किये जाने पर मामला पी0सी0 एक्ट से सम्बन्धित होना पाये जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय मे पूर्व से उपस्थित पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह राठौड को अपने कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादीगण से आपस मे एक.दूसरे का परिचय कराया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया। अग्रिम कार्यवाही की जाने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी एवं सपरिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे आवश्यक दरियाफ्त की गयी तो परिवादी व सहपरिवादी ने उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए संदिग्ध अधिकारी के विरूद्ध रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाने की कार्यवाही कराये जाने हेतु अवगत कराया तथा उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना अवगत कराते हुए सहपरिवादी ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर होने की भी ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किये जाने के उपरान्त मूल प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात शामिल कार्यवाही किये गए। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित परिवादी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन किये जाने हेतु आवश्यक समझाईश की गयी तथा कार्यालय के श्री दामोदर कानि0 नं0 435 को मय कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्टाक रजिस्टर मे बाद इन्द्राजात के उपस्थित होने के निर्देश दिये गए। जिस पर श्री दामोदर कानि0 कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। उपस्थित कानि0 का परिवादी सहपरिवादी से आपस मे एक.दूसरे से परिचय कराया तथा की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए परिवादी एवं सहपरिवादी को डिजीटल वाइस रेकार्डर चालु व बंद करने तथा मैमोरी कार्ड को संधारित करने की विधि से अवगत कराते हुए मूल मैमोरी कार्ड मे आवाज दर्ज करने के सम्बन्ध मे समझाईश दी जाकर एक-दूसरे के मोबाईल नम्बर आदान-प्रदान करवाये गए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के परिपेक्ष्य मे परिवादी ने अवगत कराया कि आज समय अधिक हो चुका है तथा आरोपी अपने कार्यालय मे उपस्थित नहीं मिलेगा। अतः कल दिनांक 24.04.26 को आप श्री दामोदर कानि0 को भिजवा दे, जिससे मै सम्पर्क करके आरोपी की उपस्थिति एवं रिश्वत मांगने के सम्बन्ध मे वार्ता होने के उपरान्त आपको सूचित कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी व सहपरिवादी को रूख्स्त कर प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखे गये। श्री दामोदर को कल प्रातः परिवादी व सहपरिवादी से सम्पर्क कर कार्यालय का डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सहित रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिए पाबन्द किया गया। दिनांक 24.04.26 समय 02.00 पीएम पर श्री दामोदर को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर व मैमोरी कार्ड सहित परिवादी, सहपरिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दर्ज हेतु डीडवाना के लिए रवाना किया। कानि0 श्री दामोदर बाद कार्यवाही के डीडवाना से उपस्थित कार्यालय होकर मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी आज अपने कार्यालय मे उपस्थित नहीं मिला, जिसकी वजह से संदिग्ध अधिकारी व परिवादीगण के मध्य वार्ता नहीं हो सकी। परिवादीगण ने आईन्दा संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति के बारे मे जानकारी कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने हेतु कहा है। कार्यालय का मूल डिजीटल वाइस रेकार्डर व मैमोरी कार्ड सुरक्षित रखने हेतु कानि0 श्री दामोदर को निर्देशित किया गया। दिनांक 28.04.26 को मन् निरीक्षक पुलिस को सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा द्वारा जरीए मोबाईल फोन सूचना प्रदान की कि संदिग्ध अधिकारी के बारे मे जानकारी की गयी तो वह दिनांक 29.04.26 को अपने कार्यालय मे उपस्थित रहेगा तथा उससे रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हो सकती है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री दामोदर को डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली के परिवादी व सहपरिवादी से मोबाईल पर वार्ता करने के निर्देश प्रदान कर प्रातः डीडवाना के लिए रवाना होने हेतु निर्देशित किया तथा परिवादी व सहपरिवादी को कानि0 दामोदर के कल दिनांक को मिलने हेतु अवगत कराया। दिनांक 29.04.26 को कार्यालय के कानि0 श्री दामोदर को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर व मैमोरी कार्ड सहित परिवादी, सहपरिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दर्ज हेतु डीडवाना के लिए रवाना किया। कानि0 श्री दामोदर ने बाद कार्यवाही के डीडवाना से उपस्थित कार्यालय होकर मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी आज अपने कार्यालय मे उपस्थित नहीं मिला, जिसकी वजह से संदिग्ध अधिकारी व परिवादीगण के मध्य वार्ता नहीं हो सकी। परिवादीगण ने आईन्दा संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति के बारे मे जानकारी कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने हेतु कहा है। कार्यालय का मूल डिजीटल वाइस रेकार्डर व मैमोरी कार्ड सुरक्षित रखने हेतु कानि0 श्री दामोदर को निर्देशित किया गया। दिनांक 30.04.26 को मन् निरीक्षक

पुलिस को सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा द्वारा जरीए मोबाईल सूचना प्रदान की कि संदिग्ध अधिकारी दिनांक 01.05.26 को अपने कार्यालय मे उपस्थित रहेगा तथा उससे रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हो सकती है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के कानि0 श्री दामोदर को डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली के परिवादी व सहपरिवादी से मोबाईल पर वार्ता करने के निर्देश प्रदान कर प्रातः डीडवाना के लिए रवाना होने हेतु निर्देशित किया तथा परिवादी व सहपरिवादी को कानि0 दामोदर के कल दिनांक को मिलने हेतु अवगत कराया। दिनांक 01.05.26 समय 05.15 एएम पर कार्यालय के कानि0 श्री दामोदर को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर व खाली मैमोरी कार्ड सहित परिवादी, सहपरिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दर्ज हेतु डीडवाना के लिए रवाना किया। कार्यालय के श्री दामोदर कानि0 नं0 435 ने समय करीब 10.48 एएम पर जरिए दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मै 05.15 एएम के आस-पास आपके निर्देशानुसार कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड सहित डीडवाना पहुचा। जहा परिवादी व सहपरिवादी मुझे लाडनू रोड पर स्थित बायपास पर उपस्थित मिले। परिवादी को मेरे द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे कहा गया तो उसने बताया कि अभी संदिग्ध अधिकारी श्री पीथदान चारण अपने किराए के मकान पर लाडनू बायपास रोड के पास स्थित निवास स्थान पर मौजुद है, मेरा साथी गजेन्द्र सिंह बोथरा उससे जाकर रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता कर सकते है। जिस पर मैने सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा को समय लगभग 09.30 एएम पर कार्यालय का डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारीत कर चालु करके सुपुर्द किया तथा स्वयं उनके पीछे-पीछे मै व परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मौके पर मौजुद रहे। समय करीब 10.42 एएम पर सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा संदिग्ध अधिकारी श्री पीथदान चारण के किराए के मकान से बाहर आता हुआ दिखायी दिया। सहपरिवादी श्री बोथरा ने मेरे पास आकर डिजीटल वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु हालत मे सुपुर्द किया, जिसे मेरे द्वारा बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। सहपरिवादी ने परिवादी के समक्ष मुझे अवगत कराया कि मेरी श्री पीथदान चारण से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध मे वार्ता हो चुकी है तथा उसने श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित के द्वारा पेश किये गए नोटिस को फाईल कराने की एवज मे मेरे से 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा रिश्वत राशि उसने सोमवार दिनांक 04.05.2026 को कार्यालय समय के उपरान्त लिया जाना तय किया है। मेरे द्वारा सहपरिवादी से अवगत हुए तथ्यों के सम्बन्ध मे आपको जरिए दूरभाष हालात अवगत कराये। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 को कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये एवं परिवादी को रात्रि का समय होने के कारण रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 03.05.26 को प्रातः 08.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु आवश्यक समझाईश कर रूख्स्त करने हेतु निर्देशित किया तथा कानि0 दामोदर को मय डिजीटल वाइस रेकार्डर मैमारी कार्ड सहित उपस्थित आने के निर्देश पर समय करीब 03.40 पीएम पर श्री दामोदर कानि0 उपस्थित कार्यालय आया तथा उपरोक्त हालात अवगत कराये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री दामोदर द्वारा वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज की गई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाइस रेकार्डर मे मैमोरी कार्ड को संधारित कर चालू कर सुना गया तो कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद होकर सहपरिवादी से 1,00,000 रूपये की मांग किया जाना पाया गया। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मूल डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड अपने पास सुरक्षित हालात मे रखा जाकर कार्यालय स्टाफ को आवश्यक निर्देश देकर दिनांक 03.05.26 को प्रातः 08.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। दिनांक 03.05.26 को मन् निरीक्षक पुलिस मय कार्यालय स्टाफ उपस्थित कार्यालय हाजा होने व परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित एवं सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा भी कार्यालय मे उपस्थित आए। उपस्थित परिवादी व सहपरिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि हमारे पास 1,00,000 रू0 की व्यवस्था हो चुकी है तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तानुसार दिनांक 01.05.26 के अनुसार आरोपी श्री पीथदान चारण ने रिश्वत राशि दिनांक 04.05.26 को कार्यालय समय उपरान्त ली जाना तय किया है। जिसके अनुसार मै अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आया हॅू। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, अजमेर से गवाह श्री त्रिलोक टांक सूचना सहायक व श्री आयुष यादव कनिष्ठ यादव जिला परिवहन कार्यालय अजमेर कार्यालय मे तलब किये गए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु उपस्थित परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित व सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा से उपस्थित उपरोक्त गवाहान का एक-दूसरे से आपस मे परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटाप की सहायता से आरोपी व सहपरिवादी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.05.26 के समय दर्ज की गयी वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशों को चलाकर सुनाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया, गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी व सहपरिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर की तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। सहपरिवादी व आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति डीडवाना के मध्य दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 01.05.26 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमेारी कार्ड में दर्ज की गई है

जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता अलग से तैयार की जानी है को मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी व सहपरिवादी की मौजुदगी मे कार्यालय के सरकारी लेपटाप की सहायता से गवाहान व सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा के समक्ष आपरेट कर शब्द-ब-शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पृथक से मुर्तिब की गयी। जिस पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश-टेग वेल्यू निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन पैन ड्राईव में संधारित कर मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली मे डालकर एफ0एस0एल0 हेतु,एक पैन ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे पैन ड्राईव को पृथक से कपड़े की थेली में डालकर आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर तैयारशुदा पैन ड्राईव की मार्कशुदा सिल्डचिट थैलीया मालखाना प्रभारी श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुरक्षित हालात मे संभलायी गयी तथा अन्य तीसरे पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तैयारशुदा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.05.26 मुर्तिबा दिनांक 03.05.26 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। दिनांक 03.05.2026 समय 03.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री पीथदान सिंह चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति डीडवाना को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से पांच-पांच सौ रूपये के 200 नोट कुल 1,00,000 रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के राशि नोट गडढीनुमा प्रस्तुत किये। प्रस्तुतशुदा रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर रिश्वत राशि नोटो की दोनो पृथक-पृथक गडढीयों पर उपर, नीचे एवं साईड के दोनों ओर कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर जाकर रिश्वत राशि नोटो की गडढीयों को सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा की पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाये गए। उक्त समस्त कार्यवाही की सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवायें जाकर सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा को आरोपी श्री पीथदान चारण को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवष्यक हिदायत बरतने के निर्देष प्रदान किये गए। इसी समय उपस्थित परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित एवं सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा ने अवगत कराया कि आरोपी ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 04.05.26 को रिश्वत राशि का आदान-प्रदान किया जाना तय किया है। जिसके अनुसार आरोपी दिनांक 04.05.26 को ही रिश्वत राशि प्राप्त करेंगा तथा आज समय भी अधिक हो चुका है एवं मेरे घर पर कोई निजी कार्यक्रम भी है, मुझे जाना आवश्यक है, मै कल रिश्वत राशि लेन-देन हेतु आपको मेरे मित्र श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा सहित डीडवाना कस्बे मे मिल जाउंगा। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान की उपस्थिति मे सहपरिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे से रिश्वत राशि नोट की दोनो गडढीयों को निकलवाया जाकर सुरक्षित एक कागज के लिफाफे मे रखकर गवाहान की उपस्थिति मे कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि0 को मालखाने मे सुरक्षित हालात मे रखे जाने हेतु सुपुर्द किये गए। बाद कार्यवाही परिवादी, सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूख्स्त किया गया तथा दोनो गवाहान व कार्यालय स्टाफ को दिनांक 04.05.26 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर मन् निरीक्षक पुलिस अन्य राजकार्य मे व्यस्त हुआ। दिनांक 04.05.26 समय 12.45 पीएम को मन् निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित है तथा कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान भी तलबशुदा उपस्थित आये हुए होने से मन् निरीक्षक पुलिस ने जरिए मोबाईल सहपरिवादी से रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे वार्ता की तो परिवादी व सहपरिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी से जरिए मोबाईल समय करीब 11.15 एएम वार्ता हुयी तो उसने मुझे रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे वार्ता कर कब तक लाने हेतु पूछा है। जिस पर मैंने उसको बताया कि आपने कार्यालय समय के उपरान्त ही अपने निवास पर बुलाया है। मै आपके कहेनुसार शाम को आपके पास पहुच जाउंगा । इस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी रिश्वत राशि आज ही ली जाना तय किया है। अतः हम आरोपी के उपस्थित रहने के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी हासिल किये जाने हेतु आपको डीडवाना कस्बे मे ही उपस्थित मिल जाएंगे, आप रवाना होकर डीडवाना पहुंचे। मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय के मालखाने मे रखी रिश्वत राशि लिफाफा को मालखाना प्रभारी श्री तुलछाराम हैड कानि0 से निकलवायी जाकर रिश्वत राशि लिफाफे सहित श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुरक्षित हालात मे अपने पास रखने हेतु सुपुर्द कर समय करीब 02.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश स.उ.नि., श्री बुद्धराज स.उ.नि., श्री तुलछाराम हैड कानि0, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री अर्जुन कानि. 244, श्री लखन कानि0 420, श्री हुकमाराम कानि0 385, श्री मनफूल कानि 403 व स्वतन्त्र गवाह श्री त्रिलोक टांक व श्री आयुष यादव कार्यालय के सरकारी व प्राईवेट वाहन से व श्री दामोदर कानि0 को वाइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर कार्यालय से ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर मय रिश्वत राशि लिफाफा सहित डीडवाना कस्बे के लिए रवाना होकर डीडवाना कस्बे मे स्थित पुरानी रेलवे फाटक लाडनू बायपास पुलिया

के पास पहुचें। जहां कुछ समय बाद परिवादी व सहपरिवादी उपस्थित आए जिनसे रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे वार्ता की तो सहपरिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री पीथदान सिंह चारण से अभी थोडी देर पहले ही रास्ते मे बात हुयी है तो उसने मेरे को कहा कि मै जब फोन करू तब आप मेरे निवास पर आ जाना, मै अभी कार्यालय मे कार्य मे व्यस्त हॅू। अतः मन् निरीक्षक पुलिस, हमराहियान स्टाफ, गवाहान मय परिवादीगण के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए नागौर बायपास की ओर आरोपी के मोबाईल फोन के इन्तजार मे मुकीम रहे। सहपरिवादी ने समय करीब 08.15 पीएम के आस-पास आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करनी चाही तो आरोपी का मोबाईल लगातार व्यस्त होना ज्ञात होकर वार्ता नहीं हो पायी। कस्बा डीडवाना मे मौसम खराब होने व आंधी-बरसात होने की वजह से सहपरिवादी व परिवादी ने स्वतः ही अवगत कराया कि आज मौसम खराब भी है तथा आरोपी का मोबाईल फोन भी व्यस्त बता रहा है एवं वार्ता नहीं हो पा रही है, अगर उससे अब वार्ता करेंगे तो आरोपी को शक हो जाएगा। अतः आज रिश्वत राशि का लेन-देन किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति मे आईन्दा आरोपी से वार्ता होने एवं उसकी उपस्थिति के बारे मे जानकारी होने के उपरान्त ही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना उचित होगा। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारीगण को उपरोक्त हालात निवेदन किये गए। प्राप्त निर्देशानुसार परिवादी व सहपरिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूख्स्त दी जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान, ट्रेप बाक्स, रिश्वत राशि लिफाफा, डिजीटल वाइस रेकार्डर, लेपटाप, प्रिण्टर सहित समय करीब 08.40 पीएम पर कस्बा डीडवाना से ब्यूरो कार्यालय अजमेर पहुचा। जहा रिश्वत राशि लिफाफा मालखाना प्रभारी को सुरक्षित हालात मे संभलाया जाकर मालखाने मे रखे जाने हेतु सुपुर्द किया गया तथा स्टाफ व गवाहान को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूख्स्त दी गयी। दिनांक 05.05.26 समय 03.35 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित है तथा स्वतंत्र गवाहान भी तलबशुदा उपस्थित आ चुके हैं। मन् निरीक्षक पुलिस को समय करीब 01.29 पीएम पर जरिए मोबाईल सहपरिवादी ने रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे अवगत कराया कि मेरे पास अभी थोडी देर पहले ही आरोपी ने रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे वार्ता की है तथा बताया कि मै कल मौसम खराब होने की वजह से आपसे वार्ता नहीं कर सका। अतः आप शाम 07.00 पीएम पर मेरे निवास पर आ जाना। मेने आपके दस्तावेज तैयार कर लिये है, वही पर हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कर दूंगा। जिस पर मेने उनको शाम 07.00 पीएम पर पहुचने हेतु हां कर दी है तथा आज रिश्वत राशि लेन-देन की कार्यवाही सम्भव है। अतः मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी व सहपरिवादी को पुरानी रेलवे फाटक के पास लाडनू बायपास पुलिया के पास निर्धारित समय पर मिलने हेतु पाबन्द किया तथा कार्यालय मालखाने मे रखी रिश्वत राशि लिफाफा को मालखाना प्रभारी श्री तुलछाराम हैड कानि0 से निकलवाया जाकर रिश्वत राशि लिफाफे सहित समय करीब 03.35 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश स.उ.नि., श्री बुद्धराज स.उ.नि., श्री तुलछाराम हैड कानि0, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री अर्जुन कानि. 244, श्री लखन कानि0 420 व स्वतन्त्र गवाह श्री त्रिलोक टांक व श्री आयुष यादव कार्यालय के सरकारी व प्राईवेट वाहन से व श्री दामोदर कानि0 को वाइस रेकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड के कार्यालय से ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर मय रिश्वत राशि लिफाफा सहित डीडवाना कस्बे के लिए रवाना होकर समय 06.45 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान व स्टाफ के डीडवाना कस्बे मे स्थित पुरानी रेलवे फाटक लाडनू बायपास पुलिया के पास पहुचें। जहां कुछ समय बाद परिवादी व सहपरिवादी उपस्थित आए। उपस्थित सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा ने अपने मोबाईल से समय करीब 06.48 पीएम पर आरोपी के मोबाईल पर वार्ता की तो आरोपी ने बताया कि मै करीब 10 मिनट बाद अपने निवास पर उपस्थित आ जाउंगा आप मेरे घर पर आ जावें। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वाइस रेकार्डर के मैमोरी कार्ड मे परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन कर दर्ज की गई। बाद दर्ज वार्ता के आरोपी को रिश्वत राशि लेन-देन की प्रक्रिया अपनायी जाने हेतु कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि0 से लिफाफे मे रखी रिश्वत राशि नोट फिनोफ्थलीन पावडरयुक्त को निकलवाया जाकर सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा की पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाये गए तथा उपस्थित परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित को आवश्यक हिदायत प्रदान कर अपने कार्य के सम्बन्ध मे वार्ता करने की हिदायत प्रदान की। सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा को आरोपी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को दर्ज किये जाने हेतु कार्यालय के मैमोरी कार्ड को डिजीटल वाइस रेकार्डर मे संधारित कर चालु किया जाकर वार्ता दर्ज करने की हिदायत प्रदान कर परिवादी व सहपरिवादी को आरोपी के निवास स्थान पुरानी रेलवे फाटक के पास लाडनू पुलिया बायपास डीडवाना की ओर रवाना किया गया तथा उसके पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान व स्टाफ भी आरोपी के किराए के निवास स्थान के आस-पास व आमने-सामने की मुख्य सडक पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम रहे तथा श्री तुलछाराम हैड कानि0 को बाद रिश्वत राशि के लिफाफे की कार्यवाही के उपरान्त एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर पर पहुचने के निर्देश प्रदान कर रवाना किया गया। दिनांक 05.05.26 समय 08.27 पीएम पर सहपरिवादी श्री गजेन्द सिंह बोथरा ने अपने मोबाईल फोन नं0 से कार्यालय के कानि0 श्री दामोदर के मोबाईल नं0 पर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा मोबाईल से मिस्ड काल किया। ईशारे को पाकर कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिए मोबाईल नं0 पर सहपरिवादी के रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे के बारे मे अवगत कराया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस प्राप्त ईशारे को पाकर

हमराहीयान स्टाफ सर्वश्री कन्हैया लाल स0उ0नि0, श्री राजेश स0उ0नि0, श्री बुद्धराज स0उ0नि0, श्री अर्जुन लाल कानि0, श्री दामोदर कानि, श्री लखन कानि0, श्री अजीत सिंह कानि0 मय उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर ईशारे के बारे मे अवगत कराते हुए आरोपी के किराए के मकान पुरानी रेलवे फाटक लाडनू पुलिया के पास डीडवाना स्थित मकान के प्रथम तल पर पहुचे। जहां सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा कमरे के बाहर ही उपस्थित मिला। जिसने मन् निरीक्षक पुलिस को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकालकर प्रस्तुत किया। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा चालु हालात मे प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा गया, सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा ने अवगत कराया कि आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार एवं मेरा साथी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित अन्दर कमरे मे बैठे हुए है। आरोपी ने रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये प्राप्त कर अपने बैड पर रखे कम्बल के नीचे रख लिये है तथा मेरे को मेरे साथी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित के विरूद्ध जारी नोटिस मे उसके पक्ष मे फैसला कर फैसले की प्रतियों पर हस्ताक्षर करवाकर फैसले की एक प्रति सुपुर्द कर दी है, जो मेरे पास मौजुद है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत फैसले की प्रतियां सहपरिवादी ने सुपुर्द की, जिसका अवलोकन किया जाकर मेरे पास सुरक्षित हालात मे रखी गयी। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के आधार पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व सहपरिवादी को साथ लेकर उक्त कमरे मे प्रवेश किया। कमरे के अन्दर सामने की ओर डबल बैड पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर सहपरिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से 1,00,000 रू0 भारतीय चलित मुद्रा के 500-500 रूपये के 200 नोट पृथक-पृथक दो गडढीयों मे प्राप्त कर अपने बैड पर रखे कम्बल के नीचे छुपाकर रखे है। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित ने उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार ने मेरे को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001(यथासंषोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत जारी नोटिस एवं गबन के आरोप का नोटिस दिनांक 01.04.26 व 15.04.26 का फैसला मेरे पक्ष मे कर फैसले की प्रतियो पर मेरे हस्ताक्षर करवाकर हमे सुपुर्द कर दी है तथा रिश्वत राशि आरोपी के पास डबल बैड पर रखे हुए कम्बल ने नीचे रखी हुयी है। परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर डबल बैड पर बैठे हुए व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान व परिवादी व सहपरिवादी का परिचय दिया जाकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री पीथदान चारण पुत्र श्री लादुदान जाति चारण उम्र 57 वर्ष निवासी चारणवास तुलिका पोस्ट रूपगढ तहसील दातारामगढ हाल निवास पुनिया वाईन्स के पास सीकर रोड सैनी कालोनी सीकर हाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन होना अवगत कराया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री पीथदान चारण सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा से उसके साथी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित को जारी नोटिस का फैसला उसके पक्ष मे कराये जाने की एवज मे प्राप्त किये गए 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछताछ की तो आरोपी श्री पीथदान चारण चुप रहा तथा कुछ नही बोला। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे पुनः पूछा तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि ‘‘अभी थोडी देर पहले श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित एवं श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा मेरे पास आए थे, जिन्होने जबरदस्ती एक लाख रूपये मेरे बिस्तर पर रख कम्बल के नीचे रख दिये, जिसके बारे मे मुझेकोई जानकारी नहीं है, मैने उक्त रूपये इनसे नहीं मांगे है, मेरा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित ने स्वतः ही आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुए अवगत कराया कि आरोपी झूंठ बोल रहा है, मेने कोई जबरदस्ती रूपये नहीं रखे है, मै ग्राम सेवा सहकारी समिति जूसरी का अध्यक्ष हॅू तथा मुझे राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001(यथा संशोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत एवं गबन के आरोप के सम्बन्ध मे नोटिस जारी कर रखे है, जिनका फैसला मेरे पक्ष मे करने की एवज मे मेरे से दिनांक 01.05.26 को 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की थी। जिसके अनुसरण मे मेरे द्वारा इनके मांगे जाने पर ही आज 1,00,000 रूपये की रिश्वत दी है, जो इन्होने मेरे मित्र से प्राप्त कर अपने बैड पर रखे कम्बल के नीचे छुपाकर रखी है तथा मेरे पक्ष मे फैसला कर मुझे उसकी एक-एक प्रति हस्ताक्षर कराये जाने के उपरान्त सुपुर्द की है, जो आपको सुपुर्द कर दी है। जिस पर पास ही उपस्थित आरोपी श्री पीथदान चारण से पूछा गया कि उक्त राशि आपने इनके नोटिसों के फैसला करने की एवज मे ली है क्या तथा आपने इनको अभी-अभी नोटिस का फैसला कर इनकी प्रतिया दी है क्या। इस पर आरोपी ने अवगत कराया कि अभी यह मेरे पास आए थे, जिनका फैसला मेने आज ही किया है तथा उसकी प्रति पर हस्ताक्षर करवाकर एक-एक प्रति इनको दी है, जो सही है। आरोपी श्री पीथदान चारण को प्राप्त किये गए 1,00,000 रूपये के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि उक्त रूपये कम्बल ने नीचे रखे हुए है। आरोपी द्वारा बताये गए कथनों की ताईद हेतु स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति मे श्री आयुष यादव से कम्बल को उठाकर दिखवाया गया तो कम्बल के नीचे 500-500 रूपये के नोटो की दो नई गडढीया रखी होना पायी गई। उक्त रिश्वत राशि नोटो के सम्बन्ध मे आरोपी श्री पीथदान चारण से पूछा की यह रूपये कहा से आए है। इस पर उसने बताए की मेने इनसे कोई रूपये नहीं लिए है, मेने रूपये के हाथ भी नहीं लगाया है इन्होने जबरदस्ती रूपये रख दिये है। इस पर पास ही उपस्थित सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा ने बताया कि यह झूंठ बोल रहे है। इन्होने मेरे से रूपये प्राप्त कर दाहिने हाथ से लेकर बैड पर रखे कम्बल के नीचे रखे है। आरोपी से उक्त रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछा तो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। रिश्वत राशि की पूर्ण ताईद होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रियानुसार आरोपी के निवास

स्थान पर रखे पानी के बर्तन मे से एक साफ पानी का लौटा भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये, उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में आरोपी श्री पीथदान चारण के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग क्रमश गुलाबी व मटमैला प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने क्रमशः गुलाबी व मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आर0एच0-1, आर0एच0-2 एवं बाएं हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एल0एच0-1 व एल0एच0-2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त चारो शीशीयो को कब्जे एसीबी ली गई। प्रयुक्त किये गये पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को मौके पर नष्ट कराया गया । आरोपी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी होना प्राप्त होने पर आरोपी श्री पीथदान चारण से पूछा कि आपने रिश्वत राशि नहीं ली है तो आपके दाहिने हाथ के धोवण का रंग गुलाबी किस प्रकार प्राप्त हुआ है, तो आरोपी श्री पीथदान चारण चुप रहा, कुछ नहीं बोला तथा बताया कि मुझे इसके बारे मे कोई जानकारी नहीं है, मेने रूपये नहीं लिये है। प्राप्त स्पष्टीकरण के उपरान्त अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रियानुसार आरोपी के बैड पर बिछायी गई चददर के उपर से रिश्वत राशि जहा से बरामद हुयी है, उक्त स्थान के धोवण को प्राप्त किया जाना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रियानुसार एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास निकलवाया जाकर उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी से धुलवाया गया, पारदर्शी गिलास मे आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। रिष्वत राषि 1,00,000 रूपये के नोट जिस कम्बल के नीचे बैड पर बिछी हुयी चददर के जिस स्थान से रिष्वत राषि बरामद की गयी उक्त स्थान के धोवण को प्राप्त किये जाने हेतु एक साफ रूई के फोहे से रगडकर उक्त फोहे को पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासके घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबीहोना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शीशियो मे चददर के रिष्वत राषि प्राप्ति स्थान के धोवण को शीशीयो में आधा-आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क सी-1 सी-2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त दोनो शीषियों को कब्जे एसीबी ली गई। प्रयुक्त किये गये पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास व रूई के फोहे को मौके पर नष्ट कराया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही जिस बैड पर बिछी हुयी चददर से रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये 500-500 रूपये के नोटो के बण्डलों मे बरामद की गयी हे, उक्त चददर को वास्ते वजह सबूत कब्जे एसीबी ली जाना आवष्यक है। अतः उक्त कम्बल को गवाहान की उपस्थिति मे सम्बन्धित स्थल जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी है पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर काले रंग के मार्कर से गोलाकार चिन्ह अंकित कर उक्त चददर की तह बनाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखी जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जा एसीबी ली गयी तथा उक्त चददर के पैकेट को मार्क ''सी'' से चिन्हित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री पीथदान चारण के बैड पर रखे कम्बल के नीचे से 500-500 रूपये के दो नए नोटो की गडढी रखी होना पायी गयी। उक्त नोटो को स्वतन्त्र गवाह श्री आयुष यादव से गिनवाये गए तो उक्त नोट 1,00,000 रूपये होकर 500-500 रूपये के 200 नोट होना अवगत कराया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मे बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि नोट से मिलान कराया गया तो बरामदशुदा रिश्वत राशि नोट भारतीय चलित मुद्रा के 500-500 रूपये के 200 नोट होकर कुल 1,00,000 रूपये के नम्बरी नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी के अनुरूप हूबहू होना पाये गये। जिनके नम्बर निम्न प्रकार है- पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974501 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974502 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974503 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974504 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974505 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974506 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974507 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974508 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974509 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974510 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974511 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974512 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974513 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974514 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974515 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974516 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974517 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974518 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974519 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974520 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974521 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974522 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974523 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974524 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974525 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974526 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974527 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974528 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974529 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974530 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974531 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974532 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974533 पांच सौ

रूपये का एक नोट 1पीएल 974534 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974535 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974536 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974537 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974538 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974539 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974540 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974541 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974542 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974543 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974544 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974545 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974546 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974547 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974548 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974549 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974550 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974551 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974552 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974553 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974554 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974555 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974556 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974557 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974558 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974559 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974560 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974561 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974562 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974563 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974564 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974565 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974566 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974567 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974568 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974569 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974570 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974571 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974572 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974573 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974574 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974575 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974576 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974577 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974578 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974579 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974580 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974581 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974582 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974583 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974584 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974585 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974586 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974587 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974588 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974589 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974590 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974591 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974592 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974593 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974594 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974595 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974596 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974597 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974598 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974599 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974600 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974601 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974602 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974603 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974604 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974605 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974606 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974607 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974608 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974609 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974610 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974611 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974612 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974613 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974614 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974615 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974616 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974617 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974618 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974619 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974620 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974621 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974622 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974623 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974624 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974625 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974626 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974627 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974628 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974629 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974630 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974631 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974632 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974633 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974634 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974635 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974636 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974637 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974638 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974639 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974640 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974641 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974642 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974643 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974644 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974645 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974646 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974647 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974648 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974649 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974650 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974651 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974652 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974653 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974654 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974655 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974656 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974657 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974658

पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974659 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974660 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974661 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974662 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974663 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974664 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974665 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974666 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974667 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974668 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974669 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974670 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974671 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974672 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974673 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974674 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974675 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974676 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974677 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974678 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974679 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974680 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974681 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974682 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974683 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974684 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974685 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974686 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974687 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974688 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974689 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974690 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974691 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974692 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974693 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974694 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974695 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974696 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974697 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974698 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974699 पांच सौ रूपये का एक नोट 1पीएल 974700 बरामदशुदा रिश्वत राशि नोट 1,00,000 रूपये पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क ‘‘एन‘‘से चिन्हित किया जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री पीथदान चारण को परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001(यथासंषोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत एवं गबन के आरोप के जारी नोटिस दिनांक 01.04.26 व 15.04.26 का फैसला करने की मूल पत्रावली के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त पत्रावली मेरे पास रखी हुयी है, जो उसने अपने बैड पर रखी हुयी पेष की। उक्त मूल पत्रावली मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखी गयी। आरोपी के किराए के मकान के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त मकान मेरे द्वारा श्री राजकुमारजी गोदारा निवासी डीडवाना से प्रति माह 10,000 रूपये किराए से ले रखा है, जिसमे मै स्वयं अकेला रहता हॅू। कार्यवाही के दौरान उक्त किराए के मकान की सरसरी तौर पर तलाशी ली गयी तो तलाशी मे दो कमरे, एक रसोई व लेट-बाथ बना होकर एक कमरे मे डबल बैड मय गददा एवं एसी लगी हुयी है तथा उक्त कमरे मे बनी आलमारी मे आरोपी के पहनने के ईस्तेमाली कपडे रखे हुए है। इसके अतिरिक्त आरोपी के उक्त किराए के मकान की तलाशी मे रसोई घर मे खाने-पीने की वस्तुओ के अतिरिक्त कोई अन्य आपतिजनक वस्तु, सामग्री, नगद राशि, आभूषण नहीं होना पाये गए। अतः आरोपी के निवास स्थान किराए के मकान की तलाशी के सम्बन्ध मे उच्चाधिकारीयों को अवगत कराया गया प्राप्त निर्देशानुसार किसी प्रकार की कोई आपतिजनक वस्तु/आभूषण/नगद राषि नहीं होना पाया जाने से पृथक से फर्द खाना तलाशी मुर्तिब नहीं कर शामिल कार्यवाही नोट अंकित किया गया। आरोपी के निवास स्थान के बाहर मुख्य सडक होने से भीड-भाड एकत्रित एवं कार्यवाही मे व्यवधान होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आरोपी के किराए के मकान पर ताला लगाकर कमरे की चाबी श्री पीथदान चारण को सुपुर्द कर बरामदशुदा रिश्वत राशि नोट, शिल्डशुदा शीषियां एवं ट्रेप बाक्स, प्रिण्टर-लेपटाप सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी श्री पीथदान चारण सहित मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान व परिवादी तथा सहपरिवादी सहित पुलिस थाना डीडवाना के लिए रवाना होकर पुलिस थाना डीडवाना पहुचे। थाना हाजा पर उपस्थित डयूटी अधिकारी को अपना व हमराहियान स्टाफ, गवाहान का परीचय दिया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए, अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु अलग से कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया तो थाना हाजा के स्वागत कक्ष मे बैठकर कार्यवाही की जाने की सहमति प्रदान की। जिस पर थाना हाजा के स्वागत कक्ष मे पहुच अग्रिम कार्यवाही के तहत परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित ग्राम सेवा सहकारी समिति जूसरी के अध्यक्ष को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001(यथा संशोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत एवं गबन के आरोप मे जारी नोटिस दिनांक 01.04.26 व 15.04.26 की मूल पत्रावली का अवलोकन किया जाकर आरोपी से जानकारी ली गयी तो आरोपी श्री पीथदान चारण ने अवगत कराया कि उक्त दोनो नोटिसों मे आज दिनांक 05.05.26 को मेरे द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है तथा उसकी एक प्रति भी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित को हस्ताक्षर कराये जाने के उपरान्त सुपुर्द कर दी है तथा निर्णय की प्रतिया पत्रावली मे मौजुद है। श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित के विरूद्ध जारी नोटिसों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया तो पत्रावली मे मौजुद दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि आरोपी द्वारा परिवादी के विरूद्ध जारी किये गए उपरोक्त दोनो नोटिसों का निर्णय आज दिनांक 05.05.26 को मौके पर ही किया गया है तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटिसों के विरूद्ध किये गए निर्णय की प्रति भी वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय ही परिवादीगणों को सुपुर्द की है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी ने परिवादी के पक्ष मे रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही फैसले की प्रतियां सुपुर्द की है। कार्यवाही के दौरान

आरोपी द्वारा प्रस्तुत की गयी मूल पत्रावली पेज संख्या 01 से 113 पर सम्बन्धित गवाहान के प्रथम व अन्तिम पृष्ठों पर हस्ताक्षर कराये जाकर मूल पत्रावली कब्जे एसीबी ली गयी। आरोपी श्री पीथदान चारण की जामा तलाशी लिवायी गई तो श्री चारण के शरीर पर पहनी हुयी बुशर्ट की बायीं जेब से एक मोबाईल फोन सैमसंग ग्लैक्सी कम्पनी 26 5जी का होकर मोबाईल फोन मे सिम नं0 होना पायी गयी। इसके अतिरिक्त आरोपी की पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवायी गई तो 720 रूपये नगद होना पाये गए। उक्त नगद राशि के सम्बन्ध मे आरोपी श्री पीथदान चारण से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि उक्त राशि मेरे स्वयं के निजी खर्च हेतु रखी गयी है तथा उक्त राशि एवं मोबाईल मेरी स्वयं की है, आरोपी श्री चारण द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर नगद राशि 720 रूपये एवं उपरोक्त मोबाईल मय सिम कार्ड पुनः लौटाये गए। दौराने ट्रेप कार्यवाही सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा द्वारा वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय दर्ज की गई वार्ता का वाइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को वाइस रेकार्डर मे संधारित कर चालु कर सुना गया तो दर्ज वार्ता के अनुसार रिष्वत राषि लेन-देन के समय की वार्ता रेकार्ड होना पायी गयी, जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार कर शामिल कार्यवाही की जाएगी। आरोपी श्री पीथदान पुत्र श्री लादुदान जाति चारण उम्र 57 वर्ष निवासी चारणवास तुलिका पोस्ट रूपगढ तहसील दातारामगढ हाल निवास पुनिया वाईन्स के पास, सीकर रोड सैनी कालोनी सीकर हाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन के आवासीय मकान की खाना तलाशी लिए जाने हेतु उच्चाधिकारीयो को निवेदन किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की मौके की विडियोग्राफी श्री अजीत सिंह कानि0 नं0 05, एसीबी, एसयू-अजमेर के द्वारा सरकारी मोबाईल फोन मे मैमोरी कार्ड संधारित कर करवाई जाकर मूल मैमोरी कार्ड की हैश-टेग वैल्यू निकाली जाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटाप की सहायता से दो पैन-ड्राईव पृथक से तैयार किये गये। जिनमे से मूल मैमोरी कार्ड माननीय न्यायालय हेतु तथा एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु पृथक-पृथक कपडे की थैलीयो मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया शेष अन्य एक पेन-ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 42 वर्ष निवासी पुरोहितो की ढाणी पोस्ट जूसरी तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन हाल अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति जूसरी तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (यथासंषोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत एवं गबन के आरोप मे जारी नोटिस दिनांक 01.04.26 व 15.04.26 मे परिवादी के पक्ष मे फैसला जारी करने की एवज मे आरोपी श्री पीथदान चारण हाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन के लोकसेवक के पद पर पदस्थापित होकर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से सहपरिवादी के मार्फत वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.05.26 को 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग किया जाना तय कर दिनांक 05.05.26 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री पीथदान चारण द्वारा सहपरिवादी से परिवादी की उपस्थिति मे दिनांक 05.05.26 को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि भारतीय चलित मुद्रा के 500-500 रूपये के नए नोटो की दो गडढीयों के रूप मे अपने हाथो से प्राप्त कर कमरे मे रखे बैड पर कम्बल के नीचे रखी होना बरामद की गयी। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार के दोनो हाथो की अंगुलियो व अंगूठो के धोवन व रिश्वत राशि बरामदगी स्थान बैड पर बिछी हुयी चददर के उक्त धोवण का रंग क्रमश गुलाबी, मटमैला प्राप्त हुआ है तथा रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये बैड पर रखी कम्बल के नीचे से बरामद हो चुकी है। इस प्रकार आरोपी श्री पीथदान चारण पुत्र श्री लादुदान जाति चारण उम्र 57 वर्ष निवासी चारणवास तुलिका पोस्ट रूपगढ तहसील दातारामगढ हाल निवास पुनिया वाईन्स के पास सीकर रोड सैनी कालोनी सीकर हाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया गया है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 06.05.26 समय 02.00 एएम पर प्रकरण के आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन की गवाहान के समक्ष जामा तलाशी लिवायी गई। तलाशी मे मिली नगद राशि 720 रूपये एवं सैमसंग कम्पनी का मोबाईल मय एक सिम कार्ड आरोपी के उपस्थित भांजे श्री करणी सिंह कानि0 पुलिस थाना डीडवाना के सुपुर्द किये गए, अन्य किसी प्रकार की कोई वस्तु, नगद राशि कब्जे एसीबी नहीं ली गई। प्रकरण के आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन2018) का कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री पीथदान चारण को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर फर्द गिरफ्तारी शामिल कार्यवाही की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही मौके पर की गयी विडीयोग्राफी के मूल मैमोरी कार्ड सेन-डिस्क 32 जीबी से कार्यालय के लेपटाप की सहायता से उक्त मूल मैमोरी कार्ड विडीयोग्राफी से दो पैन-ड्राईव तैयार करवाये गये जिनमे से मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेन-डिस्क कम्पनी को माननीय न्यायालय हेतु एवं तैयार किये गये पैन ड्राईव मे से एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सिल्डचिट किया जाकर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिये गये तथा शेष अन्य पैन-ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान

अधिकारी हेतु सुरक्षित शामिल कार्यवाही किया गया। मूल मैमारी कार्ड को कम्प्यूटर की सहायता से कानि श्री अजीत सिंह कानि0 से हैश-टेग वैल्यू निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। जिसकी फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड विडीयोग्राफी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। आरोपी व परिवादीगण के मध्य दिनांक 05.05.26 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय दर्ज की गई वार्ता जो डिजीटल वाईन्स रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है को लेपटाप की सहायता से गवाहान व परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित व सहपरिवादी श्री गजेन्द्र सिंह बोथरा के समक्ष आपरेट कर शब्द-ब-शब्द सुनी जाकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता पृथक से मुर्तिब की गयी। जिस पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश-टेग वेल्यू कार्यालय के लेपटाप से निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली मे डालकर एफ0एस0एल0 हेतु, एक पैन ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे पैन ड्राईव को पृथक से कपड़े की थेली में डालकर आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट कर मार्क दिया जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तीसरे पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर मार्क अंकित कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन के समय दर्ज की गई वार्ता दिनांक 05.05.26 मुर्तिबा दिनांक 06.05.26 पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। बाद कार्यवाही समय 05.00 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस, हमराहियान स्टाफ, गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी, गिरफ्तारशुदा आरोपी मय जब्तशुदा आर्टिकल के जरिए सरकारी व प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना डीडवाना से ब्यूरो कार्यालय अजमेर के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय अजमेर पर पहुचा। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान की उपस्थिति मे सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे काम मे ली गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद समस्त कार्यवाही के प्रकरण मे जब्तशुदा समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करवाये जाने हेतु श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुपुर्द किये गये। गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री पीथदान चारण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट शामिल कार्यवाही की गयी। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री प्रेम सिंह राजपुरोहित पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 42 वर्ष निवासी पुरोहितो की ढाणी पोस्ट जूसरी तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन हाल अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति जूसरी तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001(यथासंषोधित 2016) की धारा 28(3) के अन्तर्गत एवं गबन के आरोप मे जारी नोटिस दिनांक 01.04.26 व 15.04.26 मे परिवादी के पक्ष मे फैसला करने की एवज मे आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन के लोकसेवक के पद पर पदस्थापित होकर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से सहपरिवादी के मार्फत वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.05.26 को 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग किया जाना तय होना पाये जाने से दिनांक 05.05.26 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री पीथदान चारण द्वारा सहपरिवादी से परिवादी की उपस्थिति मे दिनांक 05.05.26 को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि भारतीय चलित मुद्रा के 500-500 रूपये के नए नोटो की दो गडढीयों के रूप मे अपने हाथो से प्राप्त कर कमरे मे रखे बैड पर कम्बल के नीचे रखी होना बरामद की गयी। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार के दोनो हाथो की अंगुलियो व अंगूठो के धोवन व रिश्वत राशि बरामदगी स्थान बैड पर बिछी हुयी चददर के धोवण का रंग क्रमश गुलाबी, मटमैला प्राप्त हुआ है तथा रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये बैड पर रखी कम्बल के नीचे से बरामद हो चुकी है। इस प्रकार आरोपी श्री पीथदान चारण पुत्र श्री लादुदान जाति चारण उम्र 57 वर्ष निवासी चारणवास तुलिका पोस्ट रूपगढ तहसील दातारामगढ हाल निवास पुनिया वाईन्स के पास सीकर रोड सैनी कालोनी सीकर हाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया गया है। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (नरेन्द्र सिंह राठौड) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेषल यूनिट-अजमेर।............. कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पीथदान चारण पुत्र श्री लादुदान जाति चारण उम्र 57 वर्ष निवासी चारणवास तुलिका पोस्ट रूपगढ तहसील दातारामगढ हाल निवास पुनिया वाईन्स के पास सीकर रोड सैनी कालोनी सीकर हाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया डीडवाना-कुचामन के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती वन्दना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 714 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 716-19 दिनांक 06.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहकार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/05/2026 19:42:35

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)